न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी –श्रीमति पुष्पाकंवर सिसोदिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 3/2019

वादीगण/प्रार्थीगण	बनाम	प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण
1. चंदलाल पुत्र जेठाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 2. मंगलाराम पुत्र जेठाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 3. रमेश कुमार पुत्र जेठाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 4. दिनेश कुमार पुत्र जेठाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर		1. रामाराम पुत्र चमनाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 2. बाबूलाल पुत्र चमनाजी जाति पुरोहित के कायम मुकाम– (1) कालीदेवी पत्नी बाबूलालजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा (2) महेन्द्रकुमार पुत्र बाबूलालजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा (3) पार्वती पुत्री बाबूलालजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा (4) डिम्पलकुमारी पुत्री बाबूलालजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा (5) पुजाकुमारी पुत्री बाबूलालजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा (6) आरती पुत्री बाबूलालजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा (7) भागू पुत्री बाबूलालजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा 3. दिनेश पुत्र चमानाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 4. गंगा पत्नी चमनाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 5. कमला पुत्री चमनाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 6. झमका पुत्री चमनाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 7. पंखु पुत्री चमनाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 8. अदरा पुत्र थानाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 9. समरता पुत्र थानाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 10. पीरा पुत्र थानाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 11. कान्ति पुत्र भोमाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 12. डाया पुत्र भोमाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 13. मंजू पुत्री भोमाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम

उप खण्ड अधिकारी जसवंतपुरा
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

		कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 14. सांवला पुत्र सादाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 15. हरीराम पुत्र सादाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा ज़िला–जालोर 16. दरजा पुत्र प्रतापाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 17. जाला पुत्र प्रतापाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 18. ओखा पुत्र प्रतापाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 19. सोमा पुत्र प्रतापाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 20. मु. हिरो बेवा प्रतापाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 21. नरपतकुमार पुत्र जवानाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 22. देवाराम पुत्र जवानाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 23. छगनदेवी पत्नी जवानाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 24. वरदाराम पुत्र तुलछाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 25. नागजीराम पुत्र तुलछाजी जाति पुरोहित निवासी ग्राम कारलू तह0 जसवंतपुरा जिला–जालोर 26. श्रीमान तहसीलदार साहब जसवंतपुरा 27. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा भीनमाल जरिये शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा भीनमाल 28. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भीनमाल जरिए शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक भीनमाल

उप खण्ड अधिकारी जसवन्तपुरा
सत्यमेव जयते
जालोर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत दिलाने रास्ता

निर्णय दिनांक–25.10.2019

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क का पेश कर निवेदन किया गया कि सरहद मौजा कारलू (पटवार क्षेत्र सावीधर, तह0 जसवंतपुरा) में प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की कब्जासुदा एवं काश्तसुदा आराजी वर्तमान खसरा नं. 1099 रकबा 1.89 है0 किस्म चाही सोयम व जाव सोयम की आराजी स्थित है। प्रार्थीगण सहित अन्य खातेदारान के खातेदारी के उपरोक्त खसरा नं. 1099 की संपूर्ण आराजी पर इनके रेकर्डेड खातेदारान का ही एकल कब्जा व काश्त है और इस खसरा की आराजी के किसी भी हिस्से पर इन खातेदारान के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा या काश्त नहीं है। उपरोक्त खसरा नं. 1099 की आराजी के पश्चिमी दिशा में नवीन खसरा नं. 1105 रकबा 5.90 है0 किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नं. 1106 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मू.बेरा व खसरा नं. 1107 रकबा 0.07 है0 किस्म गै.मू.सड़ा की आराजी स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण नं. 1 से 25 की संयुक्त नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अप्रार्थीगण के उपरोक्त खसरा नं. 1105, 1106 व 1107 के पश्चिमी दिशा की तरफ सरकारी एक आम रास्ता स्थित है, जिसके वर्तमान में खसरा नं. 757 है। प्रार्थीगण उपरोक्त खसरा नं. 1099 में आवागमन हेतू खसरा नं. 757 के सरकारी रास्ते का उपयोग करते अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 1105, 1106, 1107 के दक्षिणी लोर के सहारे–सहारे मौके पर मौजूद रास्ते का कदीमी से उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण के अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। अतः प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 1099 में अप्रार्थीगण 1 से 25 के खातेदारी खसरा नं. 1105, 1106 व 1107 की आराजी के दक्षिणी लोर के सहारे–सहारे संलग्न नक्शा परिशिष्ट'क' अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध करवाने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार जसवंतपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार जसंवतपुरा की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 1099 में आवागमन हेतू खसरा नं. 1105, 1106, 1107 में से रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया है। मौके पर खसरा नं. 757 सरकारी रास्ते से खसरा नं. 1099 तक खसरा नं. 1105 के दक्षिणी माठ से लगता हुआ रास्ता बना हुआ है तथा रास्ता चालू है। मौके पर खसरा नं. 1105 के दक्षिणी माठ पर नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित बिंदु 'ए' से 'बी' तक रास्ता बना हुआ है तथा मौके पर वादी व प्रतिवादीगण दोनों के उपयोग में आ रहा है।प्रार्थीगण के स्वयं की शामलाती खातेदारी खसरा नं. 1099 में आवागमन का वर्तमान में कोई अन्य रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण पूर्व से ही इस रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। वर्तमान में चल रहे रास्ते की कुल लंबाई 148 मीटर है व खसरा नं. 1106 गै.मू.बेरा मौके पर नहीं है। अतः परिशिष्ट 'क' अनुसार अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 1105 व 1106 में से क्रमशः 416 वर्गमीटर व 176 वर्गमीटर कुल रकबा 592 वर्गमीटर अर्थात 0.0592 है0 है, जो नक्शा परिशिष्ट क अनुसार 'ए' से 'बी' प्रस्तावित निकटतम व वर्तमान में मौके पर मौजूद रास्ता है। द्वितीय विकल्प के तौर पर सरकारी रास्ता ख.न. 757 से ग्राम की सीमा पर नजरी नक्शे में दर्शित बिंदू 'सी' से 'डी' रास्ता दिया जा सकता है लेकिन मौके पर रास्ता बनाने हेतू रेत के बडे टिले को समतल करना पडेगा। इस विकल्प की लंबाई 250 मीटर है, जो प्रथम विकल्प से ज्यादा है। अतः मौके अनुसार तथा मौके पर उपयोग में आ रहे रास्ते अनुसार जो नजरी नक्शें में बिंदु 'ए' से 'बी' तक दर्शाया गया है, प्रार्थीगण के लिए निकटतम रास्ता है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण नम्बर 2(5), 2(6), 2(7), 3, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25 के अधिवक्ता को वकालतनामा पेश करने हेतू बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी वकालतनामा पेश नहीं किये जाने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। शेष अप्रार्थीगण नं. 1, 2(1) से 2(4), 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28 बावजूद नोटिस चस्पा के गैर हाजिर रहे, अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रकरण मे प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व प्रकरण का भंलिभाति अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1099 में आने–जाने के लिये मौजा कारलू के अप्रार्थीगण की आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 1105, 1106 व 1107 की खातेदारी के दक्षिणी लोर के सहारे–सहारे परिशिष्ट 'क' अनुसार चाहा गया है। तहसीलदार जसवंतपुरा की जांच रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 1099 में जाने हेतु दो रास्ते बताये गये। एक रास्ता खसरा नम्बर 1105, 1106 व् 1107 मे से बताया गया है, जो नक्शा मौका फर्द में 'ए' से 'बी' दर्शाया गया है एवं दूसरा रास्ता नक्शा मौका फर्द में 'सी' से 'डी' बताया गया है तथा मौका जांच मे खसरा नम्बर 1105, 1106 व 1107 में से प्रार्थीगण को रास्ता देना उचित होना अवगत कराया है। तहसीलदार जसवंतपुरा की जांच रिपोर्ट में नजरी नक्शे में 'सी' से 'डी' दर्शाये गये रास्ते पर रेत के बडे टिले होने व रास्ते की खसरा नं. 757 से ज्यादा दूरी होने से प्रथम विकल्प का रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं मौजा कारलू के खसरा नम्बर 1099 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के आराजी खसरा नं. 1105 व 1107 में से दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे क्रमशः 416 वर्गमीटर व 176 वर्गमीटर कुल रकबा 592 वर्गमीटर अर्थात 0.0592 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम ,जाव दोयम व गै.मू.सड़ा को परिशिष्ट 'क' मे दर्शाये अनुसार प्रार्थीगण का रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त नक्शा परिशिष्ट 'क' इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त घोषित किये गये रास्ते की डी.एल.सी. दर 306300/–रूपये प्रति हैक्टेयर से 0.0592 हैक्टेयर की राशि रूपये 18133/– बनती है जिसकी दुगनी राशि रूपये 36266/– निर्धारित की जाती है। प्रार्थीगण उक्त राशि की डी.डी./बैंकर चैक द्वारा तहसीलदार जसवंतपुरा के माध्यम से अप्रार्थीगण को अदा करे। तत्पश्चात तहसीलदार जसवंतपुरा राजस्व रेकर्ड मे नियमानुसार प्रार्थीगण के हक मे उक्त रास्ता दर्ज करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जसवंतपुरा को भेजी जावे। डिक्री परचा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती पुष्पाकंवर सिसोदिया)
उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा
उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Kanwar Sisodiya
Date: 2019.11.30 10:54:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: